न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

अपील संख्या 98/18

पुखराज पुत्र प्रभू जाति मीना निवासी ग्राम बिच्छीदोना तहसील मलारना डूँगर जिला सवाईमाधोपुर

अपीलांटान

बनाम

सरकार जरिये नायब तहसीलदार मलारना डूँगर जिला सवाईमाधोपुर

रेस्पोटेडान

(अपील विरूद्व निर्णय न्याया0 अति0जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर मु0न0 167/18 निर्णय दिनांक 25.1.18 एवं नायब तहसीलदार मलारना डूँगर मु0न0 138/14 निर्णय दिनांक 9.10.14)

उपस्थित अभिभाषक

1. अपीलांटान की और से श्री जगदीश प्रसाद शर्मा
2. रेस्पोटेटान की और से पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक 16.10.2019

अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के मु0न0 167/18 निर्णय दिनांक 25.1.18 एवं न्यायालय नायब तहसीलदार मलारना डूँगर के प्रकरण संख्या 138/14 दिनांक 9.10.14 के विरूद्व पेश की गई है। अपील के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार से है कि अधिनस्थ न्यायालय अति0जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर मे अपीलांट द्वारा नायब तहसीलदार मलारना डूँगर के निर्णय दिनांक 9.10.14 के विरूद्व प्रथम अपील इस आशय की पेश की थी कि अपीलार्थी को ग्राम विच्छीदोना के आराजी ख0न0 935 रकबा 0.07 है0 गैर मुमकिन तलाई पर अनाधिकृत रूप बाडा व पक्की दीवार बनाकर कब्जा करने का कर्ता मानकर अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिक्रमण का दोषी पाये जाने पर अपीलार्थी के विरूद्व शास्ति आरोपित कर मौके से बेंदखल करने के अतिरिक्त 30 दिवस मे सिविल कारावास की सजा से दण्डित किये जाने से व्यथित होकर अपींलाट द्वारा प्रथम अपील अति0 जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के यहॉ पेश की गई थी। अति0 जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर द्वारा अपीलांट की अपील खारिज की जाकर नायब तहसीलदार मलारना डूँगर के निर्णय का यथावत रखने से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा द्वितीय अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेटान को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर बहस उभयपक्ष अभिभाषको की सुनी गई।

Scanned by CamScanner

अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने बहस अपील मे बताया कि अधिनस्थ न्यायालय आदेश विधि एवं पत्रावली के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। विवादित भूमि पर अपीलांट का कोई कब्जा काश्त नही है। पटवारी हल्का ने अपने चहेते व्यक्तियो को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से फर्जी अतिक्रमण की रिपोर्ट पेश की है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्वान्तो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट पूर्ण सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एक पक्षीय होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्ण्य इल्लीगल इम्प्रोपर व इन करेक्ट होने से निरस्त योग्य है। अतःअपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर दोनो अधिनस्थ न्यायालयो के निर्णयो को अपास्त फरमाया जावे।

रेस्पो0 के विद्वान अधिवक्ता पैरोकार सरकार ने बहस अपील मे बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किये जाने से पूर्व अपीलांट को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत विधिवत रूप से नोटिस जारी किया गया है जिसकी तामिल अपीलांट द्वारा स्वयं प्राप्त की गई है। जिसके बाबजूद भी अपीलांट अधिनस्थ न्यायालय मे उपस्थित नही हुआ है। विवादित भूमि पर अतिचार नही होने बाबत अपीलांट द्वारा किसी प्रकार का साक्ष्य सबूत पेश नही किया है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि विवादित भूमि पर उसका अतिचार नही है। विवादित भूमि गैर मुमकिन तलाई है। जिस पर अपीलांट द्वारा अतिचार किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने के कारण ही सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णयो मे किसी प्रकार की अनियमितता नही है। अतःअपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

16.10.19
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उभय पक्षो की बहस अपील एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य सामने आये कि अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार मलारना डूँगर द्वारा पटवारी हल्का की अतिचार की रिपोर्ट के बाद राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी कर अतिचार नही करने के संबंध मे न्यायालय मे उपस्थित होकर जबाब/साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है। जिसकी तामिल अपीलार्थी द्वारा स्वयं प्राप्त की गई है। जिसके बाबजूद भी अपीलार्थी अधिनस्थ न्यायालय मे उपस्थित नही हुआ है। अपीलांट द्वारा मौके से कब्जा छोडने का शपथ पत्र इस न्यायालय मे पेश किया गया है परन्तु अपीलांट द्वारा अतिचार की गई भूमि की किस्म गैर मुमकिन तलाई है। इस प्रकार के अतिचारो के संबंध मे माननीय उच्च न्याायलय जोधपुर राजस्थान द्वारा डी.बी.सिविल रिट पिटीशन न0 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार निर्णय दिनांक 02.08.2004 मे नदी,नाला,तालाब आदि के संरक्षण हेतु विस्तृत दिशा निर्देश प्रदान किये गये है। अपीलार्थी द्वारा पूर्व मे भी अतिचार किये जाने के कारण की अधिनस्थ न्यायालय द्वारा

Scanned by CamScanner

पश्चावर्ती अतिचार माना जाकर ही निर्णय पारित किया गया है। इस प्रकार दोनो अधिनस्थ न्यायालयो द्वारा पारित निर्णयो मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होने से अपीलांट की अपील खारिज किया जाना उचित है।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय अति0जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर मु0न0 167/18 निर्णय दिनांक 25.1.18 एवं नायब तहसीलदार मलारना डूँगर मु0न0 138/14 निर्णय दिनांक 9.10.14 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 16.10.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

16.10.19.

(बी0एल0 रमण)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2019.11.18 14:27:12 IST
Reason: SelfAttested
Location: